

=====

1. केंद्र सरकार ने खरीफ सीजन 2026 के लिए फास्फेटिक और पोटेशियम युक्त उर्वरकों पर सब्सिडी दरों को मंजूरी दी।
2. पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच सरकार ने देशभर की खदानों और बिजली संयंत्रों में कोयले का पर्याप्त भंडार होने की पुष्टि की।
3. केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा, देश भर में एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की सामान्य आपूर्ति जारी
4. हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य के संघ लोक सेवा आयोग, हरियाणा लोक सेवा आयोग और न्यायिक सेवा की पूर्व परीक्षा पास करने वाले कमजोर वर्ग के युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा प्रतिभा प्रोत्साहन योजना की घोषणा की
5. हरियाणा मंत्रिमंडल ने अग्निवीर नीति 2024 और सेवा मुक्ति आवास नीति में संशोधन को मंजूरी दी
6. सरकार ने राशन डिपो के आवंटन में महिलाओं को 33% आरक्षण में एसिड हमले की पीड़ित महिलाओं और विधवा महिलाओं को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया

=====

केंद्र सरकार ने खरीफ सीजन 2026 के लिए फास्फेटिक और पोटेशियम युक्त उर्वरकों पर सब्सिडी दरों को मंजूरी दे दी है।

नई दिल्ली में आज सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस पर लगभग 41 हजार 534 करोड़ रुपये की लागत आएगी। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से किसानों को रियायती, किफायती और उचित मूल्यों पर उर्वरक उपलब्ध हो सकेगा।

-----

पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच सरकार ने आज देश भर की खदानों और बिजली संयंत्रों में कोयले का पर्याप्त भंडार होने की पुष्टि की। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रमों पर आयोजित अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कोयला मंत्रालय के संयुक्त सचिव **संजीव कुमार कस्सी** ने कहा कि कोयले की कीमतों में कोई वृद्धि नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि कोयला क्षेत्र के सक्रिय दृष्टिकोण और समयबद्ध कार्रवाई के कारण पश्चिम एशिया संघर्ष के संकेत मिलने से पहले ही कोयले का पर्याप्त भंडार तैयार कर लिया गया था।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश भर में एलपीजी, पेट्रोल और डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं और सामान्य आपूर्ति जारी है।

उन्होंने कहा कि घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी गई ताकि घरों तक सौ प्रतिशत आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके और व्यावसायिक एलपीजी की आपूर्ति को विनियमित किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पीएनजी कनेक्शनों का विस्तार किया है और व्यावसायिक एलपीजी की आपूर्ति को भी चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया है।

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य के संघ लोक सेवा आयोग, हरियाणा लोक सेवा आयोग और न्यायिक सेवा की पूर्व परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं को आगे की कोचिंग फीस की प्रतिपूर्ति करने के लिए मुख्यमंत्री युवा प्रतिभा प्रोत्साहन योजना की घोषणा की। इस योजना के तहत 25 हजार से लेकर 70 हजार रुपए तक वित्तीय मदद की जाएगी।

मुख्यमंत्री आज चंडीगढ़ में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चुने गए हरियाणा के युवाओं के सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री युवा प्रतिभा प्रोत्साहन योजना के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए श्री नायब सिंह सैनी ने कहा -

मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी सरकारी विश्वविद्यालयों में यूपीएससी, एचपीएससी परीक्षा की कोचिंग देने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि इसके लिए सायंकालीन पारी में कक्षाएं शुरू की जाएंगी।

उन्होंने संघ लोक सेवा आयोग की भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा परिणाम में तीसरा स्थान हासिल करने वाले एकांश पुल समेत हरियाणा के सफल 77 होनहार युवाओं को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा केवल एक नौकरी नहीं है यह एक जिम्मेदारी है एक कर्तव्य है एक सेवा है। यह वह मंच है जहां आपका निर्णय लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं। अब तक आपकी यात्रा व्यक्तिगत उपलब्धियों की यात्रा थी लेकिन अब आगे की यात्रा जन सेवा की यात्रा है ।

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज चंडीगढ़ में हुई मंत्रिमंडल की बैठक अग्निवीर नीति, 2024 और सेवामुक्ति आवास नीति में संशोधन सहित 6 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक पत्रकार वार्ता में बताया कि बैठक में कुल 7 प्रस्ताव रखे गए। मुख्यमंत्री ने बताया कि अग्निवीरों के लिए फॉरेस्ट गार्ड, वार्डर और माइनिंग गार्ड जैसे पदों में क्षैतिज आरक्षण 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने को स्वीकृति दी गई है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय का उद्देश्य सुरक्षा से जुड़े पदों में अग्निवीरों के सैन्य प्रशिक्षण, अनुशासन और अनुभव का बेहतर उपयोग करना है। मुख्यमंत्री ने बताया कि वृद्धजनों की सहायता के लिए सेवामुक्ति आवास नीति में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है। संशोधित प्रावधानों के अनुसार सेवामुक्ति आवासीय कॉलोनियों के लिए फ्लोर एरिया अनुपात में वृद्धि की गई है। वर्तमान में यह अनुपात सीमा 2.25 है, जिसे अब बढ़ाकर 3.0 कर दिया गया है।

सरकार ने राशन डिपो के आवंटन में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण में एसिड हमले की पीड़ितों, महिला स्वयं सहायता समूहों और विधवा महिलाओं को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा "लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली" में आवश्यक संशोधन को भी मंजूरी प्रदान के एगाई है। अब राशन डिपो के नए लाइसेंस 300 राशन कार्ड के बदले 500 राशन कार्ड पर दिए जाएंगे

डिपो धारक की अधिकतम आयु 60 वर्ष को लिखित आवेदन तथा अच्छे कार्य के आधार पर 5 वर्ष तक बढ़ाया जाएगा। यदि डिपो धारक की अधिकतम आयु 60 वर्ष या 65 वर्ष से 5 साल पहले निधन होता है तो उसके कानूनी वारिस को डिपो प्रदान किया जा सकता है

उन्होंने बताया कि हरियाणा विलेज कॉमन लैंड्स (रेगुलेशन) नियम, 1964 में नया नियम 5A जोड़ने को भी मंजूरी दी गई है। उन्होंने बताए कि अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी को मौजूदा ₹11,257 प्रतिमाह से बढ़ाकर ₹15,200 प्रतिमाह करने को भी स्वीकृति दी गई है।

---

हरियाणा के राज्यपाल प्रो.असीम कुमार घोष कल हरियाणा लोक भवन में सेवा का अधिकार आयोग की वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट का विमोचन करेंगे। समारोह में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे।

यह वार्षिक रिपोर्ट प्रदेश में समयबद्ध सेवा वितरण, शिकायत निवारण, ऑटो अपील सिस्टम तथा विभागवार सेवा प्रदर्शन की वर्षभर की उपलब्धियों का विस्तृत दस्तावेज है।

समारोह के दौरान समयबद्ध सेवा वितरण, शिकायतों के त्वरित निस्तारण तथा ऑटो अपील सिस्टम के प्रभावी क्रियान्वयन में उत्कृष्ट योगदान देने वाले अधिकारियों एवं तकनीकी विशेषज्ञों को सम्मानित भी किया जाएगा।